इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 442] भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 अगस्त 2018—श्रावण 17, शक 1940

जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2018

क्रमांक एफ–04–89/2018/1/25, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग से संबंधित निम्नलिखित सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

//नियम//

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ–
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती) नियम, 2018" है।
   (2) ये नियम दिनांक 01 जुलाई 2018 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. परिभाषाएं– इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,
   (क) सेवा के सबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची– एक के कॉलम 6 में अंकित नियुक्ति प्राधिकारी;
   (ख) "शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;
   (ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
   (घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न अनुसूची;

(ड) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत हैं, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जनजाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विर्निदिष्ट किया गया है;

(च) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विर्निदिष्ट किया गया है;

(छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन व्दारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना कमांक एफ–8–5–XXV–4–84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 व्दारा यथा विर्निदिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) "विभाग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग;

(झ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग;

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(ट) "चयन समिति" से अभिप्रेत है इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट चयन समिति;

(ठ) "विभागीय पदोन्नति समिति" से अभिप्रेत है इन नियमों में यथावनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति;

(ड) "परीक्षा अभिकरण" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन संचालित पात्रता परीक्षा या विभागीय परीक्षा के संचालन के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अभिकरण;

(ढ) "स्थानीय निकाय" से अभिप्रेत है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन जनपद/जिला पंचायत तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन नगर पालिक निगम, नगर पालिका और नगर परिषद;

(ण) "अध्यापक संवर्ग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 तथा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के अधीन नियुक्त अध्यापक संवर्ग;

(त) "शिक्षक पात्रता परीक्षा" से अभिप्रेत है शिक्षण संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिये आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा।

(थ) "अतिथि शिक्षक" से अभिप्रेत है प्रदेश की शासकीय शालाओं में अध्यापन कार्य के उददेश्य से रिक्त पदों के विरूद्ध मानदेय पर अस्थाई रूप से अध्यापन कर रहा व्यक्ति।

3. विस्तार तथा लागू होना—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन–** यह सेवा निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी, अर्थात्:–

(1) "मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008" तथा "मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008" के अधीन 89 आदिवासी एवं 224 सामुदायिक विकासखण्डों में विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति जो नियम–5 के उप–नियम (1) के अनुसार नियुक्त किए गए हों।

(2) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति जिन्हें पदोन्नत किया गया है।

5. **भर्ती का तरीका :–**

(1) इन नियमों के प्रवृत होने के पश्चात "मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008" तथा "मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008" के अधीन 89 आदिवासी तथा 224 सामुदायिक विकासखण्डों में विभागीय शिक्षण संस्थाओं में नियुक्त और अन्य विहित अर्हताओं की पूर्ति करने वाले वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति विभाग में सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय नियुक्त किये जाएंगे। इन व्यक्तियों के नियुक्ति आदेश अनुसूची–एक के कॉलम (6) में उल्लेखित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन द्वारा विर्निदिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जारी किये जाएंगे।

(2) मध्यप्रदेश पंचायत /अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008/मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के अधीन नियुक्त सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक को क्रमशः प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

(3) सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला), सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) एवं सहायक अध्यापक (गायन/वादन) को क्रमशः प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक तथा गायन/वादन शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

(4) उप नियम (1), के अनुसार नियुक्ति के पश्चात् इस सेवा में आगामी नियुक्ति निम्नलिखित तरीके अपनाकर की जाएगी, अर्थात् :–

(क) सीधी भर्ती के अंतर्गत पात्रता परीक्षा द्वारा चयन।

(ख) पदोन्नति द्वारा।

6. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि–** पदों का वर्गीकरण, वेतनमान, उससे संलग्न पे–बैण्ड तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी;

परंतु शासन, पदों की संख्या में समय–समय पर स्थायी या अस्थायी आधार पर कमी या वृद्धि कर सकेगा।

7. **पदों पर नियुक्ति**–इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी संवर्ग में उदभूत रिक्तियों पर सभी नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम–5 में विर्निदिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के सिवाय नहीं की जाएगी ।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें**:– इन नियमों में सीधी भर्ती के पदो के विरूद्ध नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थातः–

(1) **आयुः**–

(क) अभ्यर्थी ने चयन प्रक्रिया के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् आने वाली एक जनवरी को अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विर्निदिष्ट आंयु पूर्ण कर ली हो किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विर्निदिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, महिला एवं दिव्यांग (निःशक्त) वर्ग का है तो विहित अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार प्राप्त होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश शासन, निगम मण्डल के कर्मचारी है, या रह चुके है, अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार होगी;

(घ) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हों, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि को कम करने की अनुमति दी जाएगीः

परन्तु उसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :–शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत शासन के अधीन कम से कम छह माह तक निरंतर सेवा में रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई (यूनिट) की सिफारिश के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कटौती किये जाने के कारण जिसकी छटनी की गई हो अथवा जिसे अतिरिक्त घोषित किया गया हो–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें कि समय से पूर्व निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध की अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूरी हो जाने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पअवधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किया गया हो;

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवा मुक्त कर दिया गया हो;

(6) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किये गए भूतपूर्व सैनिक;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं है;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो;

(ङ) अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कार प्राप्त सवर्ण पति/पत्नि के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी।

(च) "विक्रम पुरूस्कार" प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार छूट प्राप्त होगी।

(छ) मध्यप्रदेश शासन के शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षकों, जिन्हें तीन या अधिक शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस अथवा उससे अधिक का कार्य अनुभव प्राप्त हो, अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

(ज) उक्त के अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आयु संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं:–**

शैक्षणिक अर्हताएं अनुसूची–तीन के कॉलम (5) के अनुसार होनी चाहिये।

(3) **शिक्षक पात्रता परीक्षा**–शिक्षकों के सीधी भर्ती के पदों के लिए आवेदकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा, नियम–11 के उप नियम (4) के अनुसार निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

9. निरर्हताएं:–

(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, शासन द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जा सकेगा;

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा;

(3) कोई भी अभ्यर्थी, जो किसी ऐसे अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा:

परन्तु जहां उम्मीदवार के विरूद्ध ऐसे मामले लंबित हो तो वहां ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।

(4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एंव समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हताएं अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगी।

(5) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म एक ही साथ होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में शासन का विनिश्चय अंतिम होगा–**

अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में शासन का चयन/परीक्षा में प्रवेश के लिये उनका विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे शासन द्वारा निर्धारित अभिकरण द्वारा प्रवेश का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

11. सीधी भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा –

(1) "शिक्षक पात्रता परीक्षा" जो इसमें इसके पश्चात् "पात्रता परीक्षा" के नाम से निर्दिष्ट है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विहित की गयी रीति में संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। पात्रता परीक्षा की वैधता परिणाम की घोषणा होने के पश्चात् दो वर्ष के लिए या अगली पात्रता परीक्षा आयोजित होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी।

(2) शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिये प्राधिकृत अभिकरण यथा विहित परीक्षा लेने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा परीक्षा की स्कीम को समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा ।

(3) पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए शैक्षणिक अर्हता, अनुसूची–तीन में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी।

(4) शिक्षक पात्रता परीक्षा में आधार पर अर्ह होने के लिए परीक्षा में न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, श्रेणी और प्रवर्ग निम्नलिखित अनुसार होंगे :–

शिक्षक श्रेणी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ दिव्यांग व्यक्ति	अन्य
(1)	(2)	(3)
उच्च माध्यमिक शिक्षक	50 प्रतिशत	60 प्रतिशत
माध्यमिक शिक्षक	50 प्रतिशत	60 प्रतिशत
प्राथमिक शिक्षक	50 प्रतिशत	60 प्रतिशत

12. आरक्षण –

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध, शिक्षण संवर्ग के शिक्षकों पर नियुक्ति के लिये लागू होगें।

(2) **(क)** मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक –एफ–6–1/2002/आ0 प्र0/एक, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 और राज्य शासन द्वारा, समय–समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित किए जाएंगे।

यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के संबंध रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सकें, तो शेष रिक्तियां बिना राज्य शासन की पूर्व अनुमति से किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जाएंगी और उन रिक्तियों को अगले चयन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त रखा जाएगा ।

(ख) रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिये निम्नानुसार आरक्षण रहेगा :–

(एक) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे;

(दो) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुसार 6 प्रतिशत पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिये 1.5 प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन रहते हुए निम्नानुसार रहेगा:–

(1) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि।

(2) बहरे और कम सुनने वाले।

(3) लोकमोटर डिसेबिलेटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मसकुलर डिस्ट्रॉफी सम्मिलित है।

(4) बहुविकलांगता उपरोक्तानुसार (1), (2) एवं (3) को सम्मिलित करते हुये।

(तीन) भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10%;

(चार) शिक्षण संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित रखी जाएंगी, जिन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस अथवा इससे अधिक शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है :

परन्तु अतिथि शिक्षक के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त बच रहे पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(पांच) किसी ऐसे अन्य प्रवर्ग के लिये जो शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए।

(3) नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

13. चयन हेतु सामान्य उपबंध–

(1) इन नियमों के अधीन निर्धारित प्रावधान के अतिरिक्त शिक्षण संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति एवं चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया शासन द्वारा विर्निदिष्ट की जाएगी।

(2) इन नियमों में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के बारे में उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने संबंधी तथ्य से ही उसे नियुक्ति के लिये तब तक कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि आवश्यक समझी जाए, यह समाधान न हो जाए, कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी, किन्तु शासन की अनुमति से यह अवधि छह माह की कालावधि के लिए और बढ़ाई जा सकेगी।

14. परिवीक्षा–

सीधी भर्ती के अंतर्गत नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में संबंधित लोक सेवक को उस पद के लिये निर्धारित वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत वेतन वृद्धि नियमानुसार प्रदान की जाएगी। यदि परिवीक्षा अवधि में असफल होने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी। इसके उपरांत भी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त लोक सेवक की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। सेवा समाप्त करने के पूर्व संबंधित को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

15. पदोन्नति –

(1) समिति उन सभी लोक सेवकों के मामलों पर विचार करेगी, जो पदोन्नति के पद के लिए निर्धारित योग्यता धारित करते हों तथा जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को उन पदों पर, जिससे पदोन्नति की जानी है, कम से कम उतने वर्षो की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो, जो अनुसूची चार के कॉलम (4) में विहित हो तथा जो शासन द्वारा विर्निदिष्ट नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार पात्र पाये गये हों।

(2) लोक सेवकों की पदोन्नति वरिष्ठता सह–उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी।

(3) इस सेवा के सदस्यों के पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये अनुसूची–चार के कॉलम (5) में यथावर्णित समिति गठित की जाएगी। समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(4) ऐसे पदों पर, जिन पर अनुसूची–दो में यथाविर्निदिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति की जाना है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियम/अनुदेश के अनुसार होगी।

(5) पदोन्नति/क्रमोन्नति के प्रकरणों पर विचार करते समय सेवा अवधि की गणना शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

16. पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना –

(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे योग्य व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम–15 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियम/अनुदेश के अनुसार, सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गए हों। यह चयन सूची, तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण उदभूत् हुयी प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। उक्त सूची के साथ दो लोक सेवकों अथवा रिक्तियों के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, से मिलकर बनने वाली एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी।

(2) चयन सूची तैयार करने के मापदण्ड पदोन्नति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियम/अनुदेश तथा समय समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होंगे।

(3) चयन सूची में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों के नाम अनुसूची–चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा/पदों में उनकी वरिष्ठता अथवा उस क्रम में रखे जायेंगे जैसा कि शासन द्वारा इस संबंध में विर्निदिष्ट किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः— ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य के आधार पर ही उन लोगो के उपर जिन पर कि पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है वरिष्ठता का दावा नही रखेगा;

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

17. पदोन्नति समिति में प्रतिनिधित्वः—

यदि समिति में, पदोन्नति/चयन द्वारा भरे जाने वाले पदो के संबंध में पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नाम निर्दिष्ट सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व न हो, तो उसी प्रवर्ग के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य जो उसी स्तर का या उसके उच्चतर स्तर का होगा, पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

18. वरिष्ठता का निर्धारणः—

(1) प्राथमिक शिक्षक का जिला स्तरीय संवर्ग होगा। इस संवर्ग में नियम–5 के उपनियम (1) के अधीन नियुक्त सदस्यों की वरिष्ठता का निर्धारण जिला स्तर पर अध्यापक संवर्ग में उनकी नियुक्ति आदेश दिनांक एवं चयन सूची के क्रम अनुसार, जिला स्तर पर संदर्भ सूची तैयार कर किया जाएगा। यदि एक ही वरिष्ठता क्रम पर एक से अधिक व्यक्ति आते हैं तो, अधिक आयु वाले व्यक्ति को वरिष्ठ माना जायेगा एवं कम आयु वाले को उसके नीचे रखा जाएगा। नियुक्ति आदेश दिनांक, चयन सूची का क्रमांक एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अध्यापक के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण किया जाकर नियुक्तिकर्तावार संदर्भ सूची तैयार कर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा।

(2) प्रत्येक संवर्ग की अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन उनके संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जारी अंतरिम वरिष्ठता सूची में 15 दिवस की समय सीमा में संबंधितों से दावे/आपत्तियां प्राप्त कर नियमानुसार वरिष्ठता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाएगा।

(3) अध्यापक संवर्ग में एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन किए गए किसी अध्यापक की वरिष्ठता का निर्धारण उसके नवीन पदस्थापना वाले निकाय में पदभार ग्रहण करने की दिनांक से किया जाएगा।

(4) प्रत्येक संवर्ग की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन प्रथम बार इन नियमों के प्रारंभ होने के तीन माह के भीतर और इसके बाद प्रतिवर्ष 01 अप्रैल की स्थिति में किया जाएगा।

(5) माध्यमिक शिक्षक का संवर्ग संभाग स्तरीय होगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण संभाग स्तर पर उपरोक्त उपनियम (1) के अनुसार किया जाएगा।

(6) उच्च माध्यमिक शिक्षक का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण संचालनालय स्तर पर उपरोक्त उपनियम (1) के अनुसार किया जाएगा।

(7) यदि वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण शासन द्वारा विनिर्दिष्ट समिति द्वारा किया जायेगा।

19. **सेवा की अन्य शर्तें:–**

(1) स्थानीय निकाय के अध्यापक संवर्ग के व्यक्तियों को शासन द्वारा विहित किये गये अनुसार इस सेवा में नियुक्ति के लिये परिशिष्ट–एक अनुसार विकल्प देना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं देने पर नियम–5 के उपनियम (1) अनुसार नियुक्ति की पात्रता प्राप्त नहीं होगी ।

(2) इस सेवा में नियम–5 के उपनियम (1) के तहत नियुक्त किये गये अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति इस नियम के प्रभावशील होने के पूर्व की अवधि के वेतनमान, भत्ते तथा योजना आदि को इस सेवा के संदर्भ में प्राप्त करने के हकदार नही होंगे।

20. **निर्वचन:–**

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण–**

इन नियमों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसको ये नियम लागू होते है, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा उचित प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला, ऐसी रीति में नही निपटाया जायेगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिये, कम अनुकूल हो ।

22. **व्यावृत्ति–** इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडा वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबन्ध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथीलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति, शैक्षणिक संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम, 2018

अनुसूची - एक

(नियम - 5)

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्तिकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उच्च माध्यमिक शिक्षक	9899	द्वितीय श्रेणी	9300-34800 + 3600 ग्रेड-पे	आयुक्त जनजातीय कार्य	
2	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	3451	द्वितीय श्रेणी	9300-34800 + 3600 ग्रेड-पे	संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य	
3	कोच	52	तृतीय श्रेणी	9300-34800 + 3200 ग्रेड पे	आयुक्त जनजातीय कार्य	
4	माध्यमिक शिक्षक	43734	तृतीय श्रेणी	9300-34800 + 3200 ग्रेड-पे	संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य	
5	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	3397	तृतीय श्रेणी	9300-34800 + 3200 ग्रेड -पे	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य	
6	प्राथमिक शिक्षक	49567	तृतीय श्रेणी	5200-20200 + 2400 ग्रेड-पे	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य	
7	प्रयोगशाला शिक्षक	972	तृतीय श्रेणी	5200-20200 + 2400 ग्रेड-पे	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य	

8	खेलकूद शिक्षक	840	तृतीय श्रेणी	5200-20200 + 2400 ग्रेड-पे	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य	
9	गायन / वादन शिक्षक	112	तृतीय श्रेणी	5200-20200 + 2400 ग्रेड-पे	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य	

अनुसूची–दो

(नियम 5, 15 और 16 देखें)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 5.4 का)	पदोन्नति द्वारा (नियम 5.4 ख)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	9899	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2.	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	3451	—	100 प्रतिशत
3.	कोच	52	50 प्रतिशत (भारतीय खेल प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति द्वारा)	50 प्रतिशत
4.	माध्यमिक शिक्षक	43734	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
5.	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	3397	—	100 प्रतिशत
6.	प्राथमिक शिक्षक	49567	100 प्रतिशत	--
7.	प्रयोगशाला शिक्षक	972	100 प्रतिशत	--
8.	खेलकूद शिक्षक	840	100 प्रतिशत	--
9.	गायन/वादन शिक्षक	112	100 प्रतिशत	--

अनुसूची–तीन

(नियम 8 देखें)

सीधी भर्ती आयु तथा पात्रता

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	निर्धारित अतिरिक्त अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड. या उसके समकक्ष.	1.निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।
2.	माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) अथवा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एड.) जो इस संबंध में समय–समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय बी.ए/बी.एससी. एड. या बी.ए.एड/बी.एल.एड. अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)	1.निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्तसंस्थान/विश वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी।
3.	प्राथमिक शिक्षक	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड	निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

				तथा क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक (बी.एल. एड.) अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता है)	
4.	प्रयोगशाला शिक्षक	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	विज्ञान विषय के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा या उसके समकक्ष.	निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।
5.	खेलकूद शिक्षक (श्रेणी ब)	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.ई) अथवा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में विज्ञान स्नातक (बी.एस.सी.) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 55 प्रतिशत अंको सहित खेलकूद में डिग्री अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार बी.पी.एड डिग्री/ बी.पी.एड.(एकीकृत) चार वर्षीय व्यावसायिक डिग्री में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अथवा	निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

				न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको सहित बी.पी.एड अथवा 13.11.2002 को अधिसूचित विनियम 2009 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिये आवेदन पत्र की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिये मानदण्डों का और मानकों का निर्धारण तथा नये पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिये अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित तीन वर्ष की अवधि का बी.पी.ई. पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का एम.पी.एड. पाठ्यक्रम ।	
6.	गायन/ वादन शिक्षक	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा बी.म्यूज/एम. म्यूज/विद्/कोविद् /रत्न	निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

अनुसूची—चार

(नियम 15 और 16 देखें)

सरल क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है.	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है.	पद के लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	माध्यमिक शिक्षक	उच्च माध्यमिक शिक्षक	05 वर्ष	(1) आयुक्त जनजातीय कार्य–अध्यक्ष (2) अपर आयुक्त, जनजातीय कार्य –सदस्य (3) अपर संचालक, जनजातीय कार्य–सदस्य (4)उपायुक्त/प्रभारी अधिकारी शिक्षा स्थापना जनजातीय कार्य –सदस्य सचिव	स्नातकोत्तर होने पर
2.	माध्यमिक शिक्षक	प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शाला)	05 वर्ष	(1) संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य–अध्यक्ष (2) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य –सदस्य (3) सहायक संचालक संभागीय उपायुक्त कार्यालय –सदस्य सचिव (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	–
3.	खेलकूद शिक्षक	कोच	05 वर्ष	(1) आयुक्त जनजातीय कार्य–अध्यक्ष (2) अपर आयुक्त, जनजातीय कार्य –सदस्य (3) अपर संचालक, जनजातीय कार्य–सदस्य (4)उपायुक्त/प्रभारी अधिकारी शिक्षा स्थापना जनजातीय कार्य –सदस्य सचिव	एन.आई.एस. डिप्लोमा/ एम.पी.एड. उत्तीर्ण होने पर

4.	प्राथमिक शिक्षक/ प्रयोगशाला शिक्षक	माध्यमिक शिक्षक	05 वर्ष	(1) संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य–अध्यक्ष (2) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य –सदस्य (3) सहायक संचालक, शिक्षा संभागीय उपायुक्त कार्यालय –सदस्य सचिव (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	–
5.	प्राथमिक शिक्षक	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	05 वर्ष	(1) जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी – अध्यक्ष (2) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य –सदस्य (3) सहायक संचालक, सहायक आयुक्त कार्यालय –सदस्य सचिव (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	–

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

परिशिष्ट–एक

विकल्प का प्ररूप.
(नियम 19 देखिए)

मैं श्री/सुश्री.....पदनाम वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक शासकीय विद्यालय.....नियुक्तिकर्ता.....जिला.....वर्तमान में स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत हूं । मैं, मध्यप्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम, 2018 के नियम.....तथा नियम 18 में के उल्लेखित प्रावधान के अधीन जनजातीय कार्य विभाग में पद.....(उच्च माध्यमिक शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक/खेलकूद शिक्षा/प्रयोगशाला शिक्षक/गायन/वादन शिक्षक) पर नियुक्त होने का विकल्प देता हूँ/देती हूँ । नियमों में उल्लेखित प्रावधान एवं शर्तें मुझे मान्य होंगी तथा मेरे द्वारा जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्ति किये जानेके पश्चात् पूर्व में की गयी सेवा अवधि (अध्यापक संवर्ग के रूप में) के वेतनमान एवं भत्तों आदि की मांग, इस सेवा के संदर्भ में नही की जाएगी।

अथवा

मैं श्री/सुश्री.....पदनाम वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक शासकीय विद्यालय.....नियुक्तिकर्ता.....जिला.....वर्तमान में स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत हूं । मैं अपने मूल नियुक्तिकर्ता निकाय.....(जिला पंचायत/नगरपलिक निगम/नगरपालिका/नगरपरिषद) जिला..... में यथावत बना रहना चाहता हूँ/चाहती हूँ।

दिनांक
स्थान–
1.साक्षी का नाम एवं हस्ताक्षर–
2. साक्षी का नाम एवं हस्ताक्षर–

हस्ताक्षर

विकल्पकर्ता का नाम.....
पदनाम.....
कार्यरत संस्था का नाम....
कार्यरत निकाय का नाम..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2018

क्र. एफ-04-89-2018-1-पच्चीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-04-89-2018-1-पच्चीस, दिनांक 8 अगस्त, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 8 August, 2018

No. F 4-89/2018/1-25, In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and service condition of the members of the Madhya Pradesh Tribal and Schedule Caste Teaching cadre, namely :-

-RULES-

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the "Madhya Pradesh Tribes and Scheduled Castes Teaching cadre (service and Recruitment) rules, 2018."

(2) These rules shall be deemed to have come into force from 01 July,2018.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) **"Appointing Authority"** in respect of service means appointing authority mentioned in column (6) of schedule –I;

(b) **"Government"** means the Government of Madhya Pradesh;

(c) **"Governor"** means the Governor of Madhya Pradesh;

(d) **"Schedule"** means a schedule appended to these rules;

(e) **"Scheduled Castes"** means any caste, race or part of or group within a caste, race or community specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

(f) **"Scheduled Tribes"** means any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;

(g) **"Other Backward Classes"** means the other backward classes of citizen as specified by the State Government vide notification no.F85-XXV-4-84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

(h) **"Department"** means Tribal Affairs department Government of Madhya Pradesh;

(i) **"Commissioner"** means the Commissioner of Tribal Department;

(j) **"State"** means the State of Madhya Pradesh;

(k) **"Selection Committee"** means the selection committee as specified under these rules;

(l) **"Departmental Promotion Committee"** means the Departmental Promotion Committee as specified under these rules;

(m) **"Examination Agency"** means an agency authorised by the Government to conduct the eligibility examination provided under these rules;

(n) **"Local Body"** means the Janpad /District Panchayat under the Panchayat and Rural Development department and Municipal Carporation, Municipality and Municipal Council under the Urban Administration and Development Department;

(o) **"Teaching Cadre"** means Adhyapak Samvarg appointed under the Madhya Pradesh Panchayat Adhyapak Samvarg (Employment and conditions of service) Rules, 2008 and the Madhya Pradesh Nagreeya Nikay Adhyapak Samvarg (Employment and conditions of service) Rules, 2008;

(p) **"Teacher Eligibility Examination"** means the Teacher Eligibility examination to be conducted for the post of direct recruitment to the Teaching Cadres;

(q) **"Guest Teacher"** (Atithi Shikshak) means the persons imparting Education in the Government Schools of the state temporarily against vacant posts for the object of teaching work in the Government schools in the State.

3. **Scope and Application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to each member of the service.

4. Constitution of the Service.-The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) The persons appointed for the Departmental Educational Institution of 89 Tribal and 224 community Development Blocks, under the Madhya Pradesh Panchyat Adhyapak Samvarg (Employment and conditions of service) Rules, 2008 and the Madhya Pradesh Nagreeya NikayAdhyapak Samvarg (Employment and conditions of service) Rules, 2008 and persons and appointed under sub rule (1) of rule 5.

(2) The persons to be appointed by direct recruitment or who have been promoted.

5. Method of recruitment.-

(1) After commencement of these rules persons appointed for the Departmental Educational Institution of 89 Tribal and 224 community Development Blocks, under the Madhya Pradesh Panchyat Adhyapak Samvarg (Employment and conditions of service) Rules, 2008 and the Madhya Pradesh Nagreeya NikayAdhyapak Samvarg (Employment and conditions of service) Rules, 2008 and persons working and satisfying other prescribed qualifications shall be appointed while initial constitution of the service. Appointment order of such persons shall be issued by Appointing Authority as mentioned in column (6) of schedule-I in accordance with the procedure specified by the Government.

(2) Assistant Teacher, Teacher and Senior Teacher Appointed under the Madhya Pradesh Panchayat/Nagreeya Nikay Adhyapak Samvarg (Employment and conditions of service) Rules, 2008, Sahayak Adhyapak, Adhyapak and Varishtha Adhyapak shall respectively be appointment on the post of Primary Teacher, Middle Teacher and Upper Middle Teacher respectively.

(3) Assistant Teacher (Laboratory), Assistant Teacher (Physical Training) and Assistant Teacher (Vocal/Instrumental) shall be appointed to the post of Laboratory Teacher, Sports Teacher and Music/Instrument Teacher respectively.

(4) After appointment under sub rule (1), the further Appointments shall be made by adopting the following manner, namely;

(a) Selection by eligibility test under direct recruitment;

(b) By promotion.

6. Classification, Scale of Pay, etc.- The classification of service, their scale of pay, Pay band attached thereto and the number of posts included in the service, shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

7. Appointment to the post.- After coming into force of these rules Vacancies arising out in any cadre, shall be made except after selection by one of the methods of recruitment as specified in rule 5.

8. Condition of Eligibility for Direct Recruitment.-For appointment against the post of direct recruitment, a candidate should satisfy the following conditions, namely:-

(1) Age.-

(a) The Candidate must have attained the age as specified in column(3) of schedule-III and must have not attained the age as specified in Colum (4) of the said Schedule on the first day of January ensuing after the date of commencement of the selection process;

(b) If the candidate is a bonafide resident of the Madhya Pradesh and belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Back Ward Classes, Women and Disabled class, then upper age limit shall be relaxed as per prevailing provisions of the Madhya Pradesh Government;

(c) The upper age limit shall be relaxed as per the prevailing provisions of the Madhya Pradesh Government in respect of candidates, who are or have been the employees of the Madhya Pradesh Government, Corporation, Board;

(d) A candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age period of all defence services previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

Explanation.- The term "ex-serviceman" denotes a person, who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India, for a continuous period of not less than six months and was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or on application made otherwise for employment in Government service, namely.-

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on,-

(a) completion of short-term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of enrolment;

(1) Ex-personnel of Madras civil unit;

(2) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including Short Service Regular Commissioned Officers;

(3) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(4) Ex-serviceman invalidated out of service;

(5) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(6) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(e) The upper age limit shall be relaxed as per prevailing guideline of the General Administration Department in respect of awarded superior caste partner of couple under the inter caste marriage incentive programme of the Scheduled castes, Welfare Department;

(f) The upper age limit shall be relaxed as per prevailing guideline of the General Administration Department in respect of the "Vikram Award" holder candidates;

(g) The upper age limit shall be relaxed up to nine years for the candidates who have been working as a Atithi Shikshak in the Government schools of the Madhya Pradesh and have obtained working experience of minimum 200 or more days in three or more academic sessions;

(H) In addition to above the provisions shall apply in respect of age issued by the General Administration Department from time to time.

2) **Educational Qualification.**- The candidate must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in column5 of Schedule-III.

(3) **Teacher eligibility test** For the direct recruitment to the post of Teachers, the candidate must have passed teacher eligibility test in prescribed percentage according to sub rule (4) of rule11.

9. Disqualification.-

(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Government to disqualify him for appearing in the examination/ selection.

(2) A candidate shall not be eligible for any service or post, who has married before attaining the age prescribed for marriage.

(3) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has been convicted of an offence:

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the criminal case.

(4) The provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (General condition of service) Rule, 1961 and disqualifications in accordance with the instructions issued by the Government from time to time shall be applicable to the candidate.

(5) No person shall be eligible for appointment to the service or post, who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified or ineligible for appointment to any service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January,2001 in which two or more than two children are born.

10. Government's decision about the eligibility of the candidate shall be final.- The decision of the Government as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination shall be final and the candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the agency authorised by Government shall not be allowed to appear in the examination.

11. Eligibility test for direct recruitment.-

(1) 'Teacher Eligibility Test' hereinafter referred to as the "Eligibility Test" shall be conducted as prescribed for the appointment of the teacher. This Eligibility test shall be conducted by the examination agency prescribed by the Government. Eligibility Test shall be valid for a period of one year from the declaration of result or till the next Eligibility Test, whichever is earlier.

(2) The agency authorised to held teachers Eligibility Test for appointment' Shall publish in news papers the procedure to submit applications and the scheme of examination.

(3) The Educational qualifications for appearing in the examination shall be as specified in Schedule- III.

(4) For qualifying on the ground of Eligibility Test, percentage of minimum marks in the examination, class and category shall be as follows:-

Class of teacher	Scheduled Caste /Scheduled Tribes /Other backward classes/Disable category	Unreserved category
(1)	(2)	(3)
Upper Middle Teacher	50%	60%
Middle Teacher	50%	60%
Primary Teacher	50%	60%

12. Reservation.-

(1) The provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon. Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhad Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) shall be applicable for the appointment to the post of teaching cadre.

(2) (a)Posts shall be reserved for the persons belonging to the Scheduled Caste/ Scheduled Tribe and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva(Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichade Vargon Ke Liya Arakshan) Adhiniyam, 1994(No.21 of 1994), as per instruction issued vide General Administration Department's notification No.F-6-1/2002/आ.प्र./I, dated 19th September,2002 and orders issued by the State Government from time to time.

If the candidates relating to scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes are not available in sufficient number to fill all the vacancies reserved for them, then the remaining vacancies shall not be filled from any other category without prior approval of the State Government and that vacancies shall be kept vacant for the categories of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes in the next selection.

(b) For each category of the vacant posts the reservation shall be as under:-

(i) 50 percent posts shall be kept reserved for women candidates in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.

(ii) In accordance with provisions of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)and Madhya Pradesh Right of Persons With Disabilities Rules, 2017, 6 percent posts shall be kept reserved as under for the persons with disability Subject to the limit of 1.5% for each class:-

(1) visually impaired and low vision
(2) deaf and hard of hearing
(3) Loco motor disability, in which includes cerebral palsy, cured leprosy, dwarfism, acid attack victims, muscular dystrophy.
(4) multiple disabilities, including (1), (2) and (3) as aforesaid;

(iii) 10 percent for ex-servicemen;

(iv) 25 percent vacancies of the vacancies available for the posts of direct recruitment under the teaching cadre shall be kept reserved for Atithi Shikshak category, who have worked as Atithi Shikshak in Government schools in minimum three academic years and for minimum 200 days or more:

Provided that in the case of non filling of the posts reserved for Atithi Shikshak, the vacant posts shall be filled from other eligible candidates.

(v) For such other category which may be notified by the Government from time to time.

(3) The advertisement and procedure for appointment shall be specified by executive order of the State Government.

13. General Provisions for Selection.-

(1) In addition to the provisions specified under these rules the relevant procedure of appointment on the posts of direct recruitment of teaching cadre and preparing selection list may be specified by the Government.

(2) Subject to the provisions of these rules and Madhya Pradesh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the select list does not give him or her right to appointment, unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be deemed necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The selection list shall be valid for a period of one year from the date of issuance:

Provided that this period may be extended for a further period of six months with the approval of the Government.

14. Probation.- Every person appointed under direct recruitment shall be appointed on probation for a period of two years. During the probation period the concerned public servant shall receive the minimum pay. After the successful completion of period of probation the increment shall be given as per rules. If the probation period being unsuccessful, the same may be extended for one year with the approval of the Appointing Authority. The services of the public servant appointed on probation shall be terminated if probation is not completed successfully even after the extended period. Before terminating the service the concerned shall be given an opportunity of being heard.

15. Promotion:-

(1) The committee shall consider the cases of all those public servants, who holds the prescribed qualification for the promotional post and who on the 1st January of that year had completed the qualifying service of such number of years of service as mentioned in column (4) of Schedule-IV and who have been found eligible as per the rules and procedure specified by the Government.

(2) The promotion of the public servant shall be made on seniority-cum-merit basis.

(3) There shall be constituted a committee for making preliminary selection for promotion of the members of this service consisting of the members mentioned in schedule-IV. The committee shall meet at least once in a year.

(4) For such posts, on which appointments are to be made by promotion of the members of the service as specified in Schedule-II, the promotion shall be made as per the rules/instructions issued by the General Administration Department, from time to time.

(5) At the time of considering upon the cases of promotion/up gradation, the service period shall be computed as per the directions issued by the Government.

16. Preparation of list of suitable candidates for promotion.–

(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such eligible persons who fulfils the conditions prescribed in rule-15 supra and as are found by the committee to be suitable for promotion to the service according to the rules/instructions issued by the General Administration Department, from time to time for promotion to the service. This list shall be sufficient to fill the anticipated vacancies arised on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of two public servants or 25 percent of

the number of vacancies, whichever is more, shall also be prepared along with the said list.

(2) The criteria for preparation of select list shall be as per rules/instructions issued by the General Administration Department and the Government, from time to time.

(3) Persons whose names are included in the select list shall be arranged in the order of their seniority in the service/posts as specified in column (2) of Schedule-IV or in the order as specified by the Government in this regard.

Explanation:– A person whose name is included in the selection list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely on the basis of the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

17. Representation in promotion Committee:- If in the committee other than the member presiding over the Promotion Committee, in respect of the posts to be filled up by promotion/selection, there is no representation of the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same or higher status shall be included in the Promotion Committee and the number of members of Committee shall be extended to that limit.

18. Determination of Seniority:-

(1) The cadre of Primary Teacher shall be at District level. The determination of seniority of the members appointed to this cadre under sub rule (1) of rule-5 shall be made as per the date of their appointment order in the Teaching cadre at the district level and in order of the select list, by preparing a reference list at district level. If there comes more than one person at the same order of seniority then one who is older in age shall be considered senior and the person younger in age shall be kept below to him/her. In case the date of appointment order, serial number of the select list and date of births are the same, the determination of seniority shall be made by determining the seniority in accordance with the order of their names in the english alphabet, by preparing Appointing Authority wise reference list.

(2) The publication of interim seniority list of each cadre shall be made by their respective Appointing Authority. By receiving claims/objections from concerning persons regarding the final seniority list issued within a time limit of fifteen days, publication of seniority list shall be made finally as per rules.

(3) The determination of seniority of a Teacher in Teaching cadre absorbed in another body shall be made from the date of assuming duty in the body in which he is absorbed.

(4) The publication of list of seniority of each cadre shall be made for the first time within a period of three months from the commencement of these rules and thereafter as on 1st April of each year.

(5) The cadre of Middle Teacher shall be at Division level. The determination of their seniority at Division level shall be made in accordance with sub-rule (1) aforesaid.

(6) The cadre of Upper Middle Teacher shall be at State level. The determination of their seniority at Directorate level shall be made in accordance with sub-rule (1) aforesaid.

(7) If any dispute arises regarding the determination of seniority, it shall be resolved by the committee specified by the Government.

19. Other Conditions of Services.-

(1) It shall be mandatory for the persons of the Teaching Cadre of the local bodies to give option as per Appendix-I for appointment to this service as prescribed by the Government. In case of non submission of option, they shall not have eligibility of appointment as per sub rule (1) of rule 5.

(2) The persons of Teaching cadre appointed to this service under sub rule (1) of rule-5 shall not be entitled to get pay scales, allowances and schemes etc. of the period before the commencement of these rules, with respect to this service.

20. Interpretation:– If any question arises as to the interpretation of these rules, the same shall be referred to the Government and its decision thereon shall be final.

21. Relaxation.– Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules shall apply in such a manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that no case shall be dealt with in a manner less favourable to the person than that provided in these rules.

22. Savings.– Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BHARTI OGREY, Dy. Secy.

SCHEDULE- I

(see rule 5)

Classification, Scale of pay and number of post included in the service.

S.No.	Name of the post included in the service.	Total number of posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority	Remarl
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Upper Middle Teacher	9899	Class II	9300-34800+ Grade pay 3600	Commissioner Tribal welfare	
2	Head Master Middle School	3451	Class II	9300-34800+ Grade pay 3600	Divisional Deputy Commissioner Tribal Welfare	
3	Coach	52	Class III	9300-34800+ Grade pay 3200	Commissioner Tribal welfare	
4	Middle Teacher	43734	Class III	9300-34800+ Grade pay 3200	Divisional Deputy Commissioner Tribal Welfare	
5	Head Master Primary School	3397	Class III	9300-34800+ Grade pay 3200	Assistant Commissioner/ District Coordinator Tribal Welfare	
6	Primary Teacher	49567	Class III	9300-34800+ Grade pay 2400	Assistant Commissioner/ District Coordinator Tribal Welfare	
7	Laboratory Teacher	972	Class III	5200-20200+ Grade pay 2400	Assistant Commissioner/ District Coordinator Tribal Welfare	
8	Sports Teacher	840	Class III	5200-20200+ Grade pay 2400	Assistant Commissioner/ District Coordinator Tribal Welfare	
9	Music/Instrument Teacher	112	Class III	5200-20200+ Grade pay 2400	Assistant Commissioner/ District Coordinator Tribal Welfare	

SCHEDULE -II

Method of recruitment

(see rule 5,15 and 16)

S.No.	Name of the posts included in the service	Total number of posts	Percentage of post to be filled up By direct recruitment (Rule 6.(4)(b) (rule6(4)(a)	By Promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Upper Middle Teacher	9899	50%	50%
2.	Head Master Middle School	3451	-	100%
3.	Coach	52	50% Deputation from the Indian Sports Authority	50%
4.	Middle Teacher	43734	50%	50%
5.	Head Master Primary School	3397	-	100%
6.	Primary Teacher	49567	100%	-
7.	Labortaory Teacher	972	100%	-
8.	Sports Teacher	840	100%	-
9.	Music/Instrument Teacher	112	100%	-

SCHEDULE-III

(see rule 8)

Direct Recruitment, age and eligibility

S.No.	Name of post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Educational Qualification	Prescribed additional Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upper Middle Teacher	21	As per instruction of G.A.D	Post graduate degree in concerned subject with B.Ed. or equivalent	Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage
2.	Middle Teacher	21	--do--	Graduation and two years Diploma in Elementary Education(by whatever name known) **OR** Graduation with 45 percent marks and one year Bachelor in Education (B.ED) basic	(1)Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage (2) In respect of the Middle School Teacher (Sanskrit) of Sanskrit School the

				education, who have been obtained as per in accordance with the National Teacher Education Council (Recognition, Norms and procedure) Regulation issued from time to time in this behalf. **OR** Higher Secondary with minimum 50% of marks(or its equivalent)and 4 years B.A/B.Sc. Ed or B.A. Ed/B.Sc. Ed/ B.L. Ed. **OR** Graduate with 50 %marks and one year B.Ed.(Special education)	Shastri Upadhy (Degree) in Second Division from any recognized institution/University with Sanskrit Literature/Vyakaran (Grammer) etc. Shall be the minimum Educational qualification.

3	Primary Teacher	21	--do--	Senior Secondary(or its equivalent)with 45% marks and two years Diploma in Elementary Education(by whatever name known) in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulation,2002 **OR** Senior Secondary (or equivalent) with at least 50% marks and 4 year degree in Bachelor of Elementary Education (B.L. Ed.)	Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage - -

				OR Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and two year Diploma in Education(Special Education) **OR** Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)	
4	Laboratory Teacher	21	--do---	Higher Secondary certificate examination or its equivalent with at least 50% marks in science subject.	Teacher Eligibility Test passed with prescribed percent

5	Sports Teacher	21	---do---	Graduation in Physical Education B.P. Ed./ B.P. E. or Bachelor of science (B.Sc.) in health and Physical Education and degree in Sports with at least 55% marks according to National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulation, 2009 **OR** at least 50% marks in 4 year vocational any one degree B.P. Ed. degree/B.P. Ed. (uniform) according to National Council for Teacher Education	Teacher Eligibility Test passed with prescribed percent

				(Recognition Norms and Procedure) Regulation ,2007(Notify on 10.12.2007) **OR** B.P. Ed. with ablest 55% marks. **OR** Period of 3 years B.P. Ed. course (or its equivalent) with at least 50% marks according to National Council for Teacher Education (Recognition for application, time limit of application Norms for Recognition of Teacher Education Programme) Regulation, 2002 Viniyam 2009 notify on 13.1.2002,	

				and period of 2 years M. P. Ed. course rom any Institution recognised by National Council for Teacher Education.	
6	Music/Instrument Teacher Instrument Teacher	21	---do--	Higher Secondary certificate examination with at least 50% marks B. Music/ M. Music/VID/KOVID/Ratna	Teacher Eligibility Test passed with prescribed percent

SCHEDULE-IV

(See rule 15 and 16)

S. No	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to Which promotion is to be made	Experience for the post	Member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Middle Teacher	Upper Middle Teacher	05 years	(1) Commissioner Tribal welfare - Chairman (2) Additional commissioner, Tribal welfare - Member (3) Additional Director, Tribal Welfare- - Member (4)Deputy Commissioner/ officer In-charge Education Establishment Tribal Welfare- - Member-Secretary	After Post Graduation.

2.	Middle Teacher	Head Master Middle School	05 years	(1) Divisional Commissioner Tribal welfare- -Chairman (2) Assistant Commissioner/ District Organiser, Tribal welfare - Member (3) Assistant Director, Divisional Deputy Commissioner, Office- Member-Secretary (4) Principal, Higher Secondary School - Member	
3.	Sports Teacher	Coach	05	(1) Commissioner Tribal welfare - Chairman (2) Additional Commissioner - Tribal welfare -Member (3) Additional Director, Tribal Welfare - Member	N.I.S. Diploma/ Passed on M.P. Ed.

				(4) Deputy Commissioner/ officer In-charge Education Establishment Tribal Welfare -Member-Secretary	
4.	Primary Teacher / Laboratory Teacher	Middle Teacher	05 years	(1) Divisional Commissioner Tribal welfare - Chairman (2)Assistant Commissioner / District Organiser, Tribal welfare - Member (3) Assistant Director education Divisional Deputy commissioner, Office- Member-Secretary (4) Principal, Higher Secondary School - Member	On Graduation
5.	Primary Teacher	Head Master, Primary School	05	(1) Officer appointed by the Collector -Chairman	

				(2) Assistant Commissioner/ District Organiser Tribal -Member (3) Assistant Director, Assistant Commissioner - Member- Secretary (4) Principal, Higher Secondary School -Member	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BHARTI OGREY, Dy. Secy.

Performa of Option Appendix-I

[Rule-5 and Rule 20]

I, Mr./Mrs./Miss.....designation-Varishtha Adhyapak/ Adhyapak/SahayakAdhyapak/ Government School..... appointing body.....District..... at present working under the local body. I hereby, give the option to be appointed in the Tribal Department under Rule-5 and Rule-18 of the Madhya Pradesh Scheduled Tribe and Scheduled Caste Teaching Cadre (Service and Recruitment) Rules, 2018, on the post of .....(Uchch Madhyamik Shikshak/ Madhyamik Shikshak /Prathmik Shikshak/ Sports Teacher/Laboratory Teacher/Music/Instrument Teacher. All the provisions and conditions mentioned in the Rules shall be acceptable to me and after being appointed in Tribal Department, I shall not demand the pay scale and allowances etc. of the previous service rendered by me (as an Adhyapak cadre)with regard to this service.

OR

I, Mr./Mrs./Miss .....designation-Varishtha Adhyapak/ Adhyapak/ Sahayak Adhyapak Government School.....appointing body..... District.....at present working under the local body. I want to continue in my original appointing body ..... (District Panchayat/

Municipal Corporation/ Municipality/ Municipal Council)
District.....

Signature

Date..... Name of the Employee.....

Place ..... Designation.....

1.Name and signature Name of the Institution.....
Of the witness.....

2. Name and signature Name of the Local Body.....
of the witness.....

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BHARTI OGREY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.